संख्या- 6/2018/1049/59-2-2017-50(खा)/2006

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत आम आदमी बीमा योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-3813/खा0ग्रा0बो0/खादी/जनश्री/2017-18, दिनांक 11-11-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत आम आदमी बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 16.90 लाख (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 7.04 लाख (रूपये सात लाख चार हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-13/2017/265/59-2-2017-50(खा)/2006, दिनांक 23 जून, 2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रू0 9.86 लाख (रूपये नौ लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त धनराशि से खादी कामगारों के बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा देय अंशदान को वहन किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा। धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त धनराशि का उपयोग मात्र आम आदमी बीमा योजना के लिए ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता विषयक समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110-अन्य बीमा योजनाएं-03-आम आदमी बीमा योजना (राज्यांश 12.5 प्रतिशत) के अन्तर्गत खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा (राज्यांश 12.50 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-6-4/दस-2018, दिनांक 02.02.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 6/2018/1049(1)/59-2-2017-50(खा)/2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।